



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24112020-223274
CG-DL-E-24112020-223274

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3688]
No. 3688]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 23, 2020/ अग्रहायण 2, 1942
NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 23, 2020/AGRAHAYANA 2, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2020

का.आ. 4190(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. , जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में NH66 के कि.मी. 332 से कि.मी. 367.3 (रत्नागिरी) तक के भूखण्ड पर टोल प्लाजा के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "30/09/2020 " को "दैनिक प्रहार " और "दैनिक रत्नभूमि" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में NH66 के कि.मी. 332 से कि.मी. 367.3 (रत्नागिरी) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: रत्नागिरी			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: राजापूर				
	गांव का नाम: हातिवले				
1	505/E Part	निजी	एग्रीकल्चर	0.035	पुंडलिक दत्ताराम शिर्के, किरण दत्ताराम शिर्के, अंजली चंद्रकांत जाधव, स्मिता अमित पाटोळे, सिया अमित साटम, रुपांगी दत्ताराम शिर्के. (५०५/इ भाग)
	गांव का नाम: खरवते				
2	146 /1Part	निजी	एग्रीकल्चर	0.195	स्वाती सचिन परभ, रश्मी नितीन आजगेकर, मंगेश शरद कुळकर्णी, देवेन्द्र शरद कुळकर्णी, रोहिणी शरद कुळकर्णी, अशोक श्रीराम कुळकर्णी, शशिकांत श्रीराम कुळकर्णी, जयवंत श्रीराम कुळकर्णी, प्रतिभा पांडूरंग म्हाडदळकर, स्मिता शंकर जुवळे, सुरेश वामन कुळकर्णी, अरुन वामन कुळकर्णी, चंद्रकांत वामन कुळकर्णी, बाळकृष्ण वामन कुळकर्णी, मालिनी वामन बांदिवडेकर, रमेश वामन कुळकर्णी, शरदचंद्र वामन कुळकर्णी, सिमंतिनी प्रभाकर हळदवणेकर, विजया मोहन कुळकर्णी, प्रदिप मधुकर कुळकर्णी, नंदकिशोर मधुकर कुळकर्णी, दिलीप मधुकर

					कुळकर्णी, निनाद मधुकर कुळकर्णी. (१४६/१ भाग)
3	146 /6Part	निजी	एग्रीकल्चर	0.135	शशिकांत श्रीराम कुळकर्णी . (१४६/६ भाग)
4	169 /5 B Part	निजी	एग्रीकल्चर	0.0445	सदाशिव विश्राम सोरप. (१६९/५ ब भाग)
गांव का नाम: राजापुर					
5	106/A/2 Part	निजी	एग्रीकल्चर	0.0225	प्रकाश राजाराम जैतापकर. (१०६/अ/२ भाग)
6	107/1A/2/4 part	निजी	एग्रीकल्चर	0.004	नगर परिषद् राजपुर (१०७/१अ/२/४ भाग)
			कुल	0.436	

[फा. सं. RW/NH.37015/30/2016/NHDZ-IVA/3D]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd November, 2020

S.O. 4190(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of Toll Plaza Maintenance, management and operation of NH66 on the stretch of land from Km. 332 to Km. 367.3 (Sub-Divisional Officer, Nagar Parshiad Natya gruha , 1st Floor, Near Mumbai Goa Highway Rajapur Ratnagiri) in the district of RATNAGIRI in the state of MAHARASHTRA;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Dainik Prahar” and “Dainik Ratnabhumi” both dated 30/09/2020; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH66 in the stretch of land from Km. 332 to Km. 367.3 (Sub-Divisional Officer, Nagar Parshiad Natya gruha , 1st Floor, Near Mumbai Goa Highway Rajapur Ratnagiri) in the district of RATNAGIRI in the state of MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA			District: RATNAGIRI		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Rajapur				
	Village: Hativale				
1	505/E Part	Private	Agriculture	0.035	Pundalik dattaram shirke, Kiran dattaram shirke, Anjali chandrakant jadhav , Smita amit patole, Siya amit satam, Rupangi dattaram shirke. 505/E Part
	Village: Kharavate				
2	146 /1Part	Private	Agriculture	0.195	Swati sachin parabh, Rashmi nitin ajgekar, Mangesh sharad kulkarni, Devendra sharad kulkarni, Rohini sharad kulkarni, Ashok shriram kulkarni, Shashikant shriram kulkarni, Jayvant shriram kulkarni, Pratibha pandurang mhadadalkar, Smita Shankar juvale, Suresh vaman kulkarni, Arun vaman kulkarni, Chandrkant vaman kulkarni, Balkrushna vaman kulkarni, Malini vaman bandivadekar, Ramesh vaman kulkarni, Sharadchandra vaman kulkarni, Simantini Prabhakar haladavanekar, Vijaya mohan kulkarni, Pradip madhukar kulkarni, Nandkishor madhukar kulkarni, Dilip madhukar kulkarni, Ninad madhukar kulkarni. 146/1 Part
3	146 /6Part	Private	Agriculture	0.135	Shashikant shriram kulkarni. 146/6 Part
4	169 /5 B Part	Private	Agriculture	0.0445	Sadashiv vishram sorap. 169/5 B Part
	Village: Rajapur				
5	106/A/2 Part	Private	Agriculture	0.0225	Prakash rajaram jaitapkar. 106/A/2 Part
6	107/1A/2/4 part	Private	Agriculture	0.004	Nagar parishad Rajapur. 107/1A/2/4 Part
			TOTAL	0.436	

[F. No. RW/NH.37015/30/2016/NHDZ-IVA/3D]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.